

10वीं वाहिनी, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, जिला-पापुम्पारे
(अरुणाचल प्रदेश) 791121

“नोटिस”

10वीं वाहिनी, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, में तैनात दल सं० 210280285 कां०(जी०डी०) वैशाख पी.पी. पुत्र श्री साथीसन, निवासी Vill-Chengottukavu, PO-Edakkulam, P/S+Teh- Koyilandy, Distt- Kozhikode (Kerala)-673306 दिनांक 26.04.24 (अप्रा०) से बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति एवं पूर्व सूचना के अनुपस्थित चल रहा है। कर्मों को अवकाश से आमद देने के लिए 10वीं वाहिनी किमिन द्वारा लगातार पत्राचार किया गया साथ ही पुलिस अधीक्षक, जिला कोझीकोड (केरल) को कां०(जी०डी०) वैशाख पी.पी. को गिरफ्तार करने हेतु अनुरोध किये जाने पर भी न तो कां०(जी०डी०) वैशाख पी.पी. वर्तमान समय तक स्वयं इयूटी पर आमद हुआ है ना ही कोई सूचना इस मुख्यालय को प्रस्तुत की है, जिसके फलस्वरूप दल सं० 21028285 कां०(जी०डी०) वैशाख पी.पी. को 10वीं वाहिनी, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के आदेश सं० 2861-67 दिनांक 07.10.24 के तहत दिनांक 26.04.24(अप्रा०) से भा०ति०सी०पु० बल से “भगौड़ा” घोषित किया जा चुका है। उपरोक्त के आलोक में दल सं० 21028285 कां०(जी०डी०) वैशाख पी.पी. को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के अन्दर इस कार्यालय में आमद दे। ऐसा करने में असफल होने पर उसकी भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के अधिनियम 1992 एवं नियमावली 1994 के संगत नियमों व विनियम के तहत सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

2. यदि सम्बन्धित व्यक्ति विशेष से इस नोटिस के समाचार पत्रों में प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होता है तो 10वीं वाहिनी, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल को यह छूट होगी कि वे व्यक्ति विशेष को इस मामले में प्रतिवेदन का आगे कोई मौका ना देते हुये विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही (जो चल रही है) को आगे बढ़ा दें।

(Vipin Kumar)
Commandant
10thBn, ITB Police

CBC 19/12/11/0167/2425